



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1198]

नई दिल्ली, बुधवार, जून 22, 2011/आषाढ़ 1, 1933

No. 1198]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JUNE 22, 2011/ASADHA 1, 1933

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(समाज रक्षा प्रभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2011

का.आ. 1436(अ).—माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण तथा कल्याण अधिनियम, 2007 (2007 का 56) की धारा 6 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, नई दिल्ली के निदेशक (समाज रक्षा-एजिंग) को नोडल प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त करती है जिसके माध्यम से न्यायाधिकरण द्वारा माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों के उन बच्चों अथवा संबंधियों को समन भेजे जाएंगे जो भारत से बाहर रह रहे हैं।

[फा. सं. 15-39/(39)/2009-10/एजी-II]

अभिलक्ष लिखी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND  
EMPOWERMENT

(Social Defence Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2011

S.O. 1436(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 6 of the Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007 (56 of 2007), the Central Government hereby appoints the Director (Social Defence-Ageing) in the Ministry of Social Justice and Empowerment, New Delhi to act as a nodal authority through whom summons shall be served by the Tribunal to the children or relative of parents and senior citizens who are residing outside India.

[F.No. 15-39/(39)/2009-10/AG-II]

ABHILAKSH LIKHI, Jt. Secy.